न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः— ओम कसेरा , I.A.S.

प्रकरण संख्या —159/2014 (अपील)

तुलसीराम पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी रंग तालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा कोटा

———रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलल आर एक्ट बनाराजगी निर्णय दिनांक 29.9. 2001 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा मि0नं0 118/2000 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 90—ए

उपस्थिति

1. श्री ओम प्रकाश प्रजापति, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक— 04.03.2020

1. यह अपील न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.4.2014 से अपील उनके श्रवणाधिकार की नहीं होने से अपील का गुणावगुण के आधार पर विवेचन किये बगेर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अपीलांट को लौटाई जाने पर इस न्यायालय में दिनांक 24.7.2014 को पेश की गई है ।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा आदेश दिनांक 29.9.2001 मि0नं0 118/2000 में अन्तर्गत धारा 90 ए के तहत कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी की खातेदारी भूमि को कृषि से अकृषि उपयोग में लेने का दौषी मानते हुए अपीलांट की ग्राम रंगतालाब स्थित भूमि खसरा नम्बर 330 रकबा 1.07 हे0 को सिवायचक करने के आदेश किये गये ।

3. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24.7.2014 को पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है । वास्तवित तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 330 रकबा 1.04 हे0 वाके ग्राम रंग तालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा अपीलांट की पुश्तैनी खातेदारी भूमि है, उसमें शुरू से ही अपीलांट व अपीलांट के पुत्रों आदि का जन्म से ही हक व अधिकार निहित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में तथाकथित निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट एवं अन्य वारिसान को नोटिस दिया जाना आवश्यक था, लेकिन बिना नोटिस दिये ही अवैध एवं गैर कानूनी रूप से मनमाने तरीके से 90—ए रा0 लैण्ड रेवेंन्यू एक्ट के तहत खाते की आराजी को सिवायचक दर्ज करने में कानूनी त्रुटि की है । वास्तविकता यह है कि नवल किशोर पुत्र राम भरोस लाल निवासी कोटा जंक्शन नामक भू माफिया दलाल ने बिना प्रतिफल दिये ही पांच एग्रीमेंट पांच प्लाटों के रकवाये थे, उसमें उसने मनमाने रूप से प्लाटों के स्थान पर 160 से

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

लेकर 344 तक के प्लाट मनमाने रूप से करा लिये, जिसकी कोई राशि उसने अदा नहीं की है । इस संवंध में जो चैक दिये गये थे, वे भी अनादरित हो गये । इस प्रकार अपीलांट ने अपनी उक्त भूमि को नवल किशोर अथवा किसी अन्य व्यक्ति को वेचान नहीं किया, न ही साइड प्लान वनवाया । नवल किशेर भूमि खोर द्वारा मामाने रूप से फर्जी इकरार नामें के आधार पर कूट रचित दस्तावेजों की आड में उक्त भूमि का साईड प्लॉन वनवाकर विक्रय कर दिये, जिसमें अपीलार्थी व उसके वारिसान की मर्जी के विना भू माफिया के जरिये अवैध कार्य करवाया । इसके पश्चात अपीलांट ने एक वाद धारा 88 आर टी ए का न्यायालय उप जिला कलेक्टर कोटा के यहां प्रस्तुत किया जहां से अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी हो रही थी, अपीलार्थी द्वारा कोई निमार्ण कार्य नहीं करवाया गया है । उक्त निर्णय दिनांक 29.9.2001 की नकल काफी अरसे बाद दिनांक 21.11.2013 को दी गयी । इस प्रकार उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी एवं नकल मिलने की दिनांक से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की जा रही है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 29.9.2001 निरस्त फरमाया जाकर विवादित भूमि अपीलांट के खाते में पूर्ववत दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

4. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।

5. अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है । वास्तवित तथ्य तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 330 रकबा 1.04 हे0 वाके ग्राम रंग तालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा अपीलांट की पुश्तैनी खातेदारी भूमि है, उसमें शुरू से ही अपीलांट व अपीलांट के पुत्रों आदि का जन्म से ही हक व अधिकार निहित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में तथाकथित निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट एवं अन्य वारिसान को नोटिस दिया जाना आवश्यक था, लेकिन बिना नोटिस दिये ही अवैध एवं गैर कानूनी रूप से मनमाने तरीके से 90–ए रा0 लैण्ड रेवेंन्यू एक्ट के तहत खाते की आराजी को सिवायचक दर्ज करने में कानूनी त्रुटि की है । वास्तविकता यह है कि नवल किशोर पुत्र राम भरोस लाल निवासी कोटा जंक्शन नामक भू माफिया दलाल ने बिना प्रतिफल दिये ही पांच एग्रीमेंट पांच प्लाटों के करवाये थे, उसमें उसने मनमाने रूप से प्लाटों के स्थान पर 160 से लेकर 344 तक के प्लाट मनमाने रूप से करा लिये, जिसकी कोई राशि उसने अदा नहीं की है । इस संबंध में जो चैक दिये गये थे, वे भी अनादरित हो गये । इस प्रकार अपीलांट ने अपनी उक्त भूमि को नवल किशोर अथवा किसी अन्य व्यक्ति को बेचान नहीं किया, न ही साइड प्लान बनवाया । अपीलांट ने एक वाद धारा 88 आर टी ए का न्यायालय उप जिला कलेक्टर कोटा के यहां प्रस्तुत किया जहां से अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी हो रही थी, अपीलार्थी द्वारा कोई निमार्ण कार्य नहीं करवाया गया है । अत. अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 29.9.2001 निरस्त फरमाया जाकर विवादित भूमि अपीलांट के खाते में पूर्ववत दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

6. पेरोकार सरकार की बहस है कि अपीलांट द्वारा ग्राम रंग तालाब स्थित खातेदारी भूमि ख0नं0 330 रकबा 1.04 हे0 में बिना भूमि रूपान्तकरण कराए ही कृषि भूमि को अकृषि कार्य आवासीय प्रयोजनार्थ प्लॉट काटकर जरिये प्रोपर्टी डीलर के बेचान किये गये, जिस पर नियमानुसार धारा 90–ए के तहत कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जो अपीलांट पर प्रोपर तामिल हुआ है । किन्तु बावजूद सूचना अप्रार्थी अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही करते हुए भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये गये है । अपीलांट का कथन असत्य है कि उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें ।

7. हमने अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 29.09.2001 के विरूद्व अपील दिनांक 24.07.2014 को प्रस्तुत की है जिसके संबंध मे अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर शपथ पत्र प्रस्तुत किया है । चूंकि अपीलान्ट को उक्त आदेश की नकल तहसीलदार लाडपुरा द्वारा काफी अरसे बाद दी जाना बताया है, न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए विलम्ब क्षम्य एवं कन्डोन किये जाने योग्य है

8. अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में बिना भू–रूपान्तरण करवाए ही खातेदारी भूमि में आवासीय प्लॉट काटकर बेचे जाकर निमार्ण कार्य किया है, तथा भूमि का कृषि से अकृषि उपयोग में लेने पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस दिया गया, नोटिस तामिल होने के बावजूद अपीलांट द्वारा नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया ओर ना ही अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए । वकील अपीलांट द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य / आधार पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अपील स्वीकार की जा सकें । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही को हम उचित मानते हुए अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज योग्य पाते है ।

9. अतः वकील अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार करने के लिए कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया जाने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.9.2001 में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

10. निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner